UPSI010081242025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सीतापुर।
उपस्थित : आशीष जैन, एच.जे.एस.
फौजदारी निगरानी सं0 228/2025
सी.आई.एस. नं.–228/2025

पारस नाथ उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र भगौती प्रसाद निवासी ग्राम भदेसर मजरा ढखवा, पोस्ट पर्वतपुर परगना सदरपुर थाना रामपुर मथुरा तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर। **– प्रार्थी/निगरानीकर्ता।**

बनाम

1.आरती देवी उम्र करीब 30 वर्ष पत्नी कुलदीप निवासिनी ग्राम परसेहरा माल, पोस्ट व थाना हरगाँव, परगना व तहसील व जिला सीतापुर।
2.नीतू सोनी उम्र करीब 28 वर्ष पत्नी संजीव सोनी निवासिनी अम्बा टॉकीज के पास कस्बा शाहजहाँपुर, परगना व तहसील व जिला शाहजहाँपुर ।
3.रेशमा देवी उम्र करीब 40 वर्ष हल्का लेखपाल क्षेत्र ढखवा, राजस्व ग्राम ढखवा परगना सदरपुर, थाना रामपुर मथुरा, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर।
4.प्यारेलाल मुंशी उम्र करीब 49 वर्ष हल्का लेखपाल पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम कोदौरा थाना थानगांव तहसील बिसवॉं जिला सीतापुर।
5.अशोक कुमार उम्र करीब 55 वर्ष पुत्र अज्ञात राजस्व निरीक्षक क्षेत्र गोडैचा तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर।
6.हर्ष गुप्ता उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र पप्पू गुप्ता निवासी मकान सं0–538क/1296ए, सीतापुर रोड, त्रिवेणी नगर 2, परगना व तहसील व जिला लखनऊ। हाल पता पी० के० इन्डस्ट्रीज प्रा० लि० पर्वतपुर चौराहा, परगना सदरपुर, थाना रामपुर मथुरा, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर।
7.विजय सिंह उम्र करीब 40 वर्ष पुत्र हरदयाल निवासी ग्राम बसावन्तपुर पोस्ट पर्वतपुर परगना सदरपुर, थाना रामपुर मथुरा, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर।
8.पीयूष पोरवाल उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र हनुमान प्रसाद गुप्ता निवासी मो० सरावगी टोला कस्बा व पोस्ट व थाना व तहसील महमूदाबाद जनपद सीतापुर।
9.शशीकान्त चौहान उम्र करीब 45 वर्ष पुत्र सूर्यनाथ चौहान
10.उपदेश चौहान उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र सूर्यनाथ चौहान
निवासीगण ग्राम मंझोली, परगना भदांव, तहसील सदर,जनपद मऊ। हाल पता ग्राम भदेसर, मजरा ढखवा, पोस्ट पर्वतपुर, परगना सदरपुर, थाना रामपुर मथुरा, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर।
11. श्री दयाल उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र भण्डारी निवासी ग्राम पर्वतपुर मजरा ढखवा परगना सदरपुर, थाना रामपुर मथुरा, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर।

Digitally signed by Ashish Jain
Date: 2026.04.04 16:39:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,Sitapur

12. उ०प्र० राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सीतापुर।

उत्तरदाता/विपक्षीगण।

निर्णय

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से अन्तर्गत धारा 438 बी.एन.एस.एस. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीतापुर, द्वारा प्रकीर्ण फौ0वाद संख्या 493/2025, सी.आई.एस. नं0 2188/2025 पारसनाथ बनाम आरती देवी आदि अर्न्तगत धारा 173 (4) बी.एन.एस.एस. थाना महमूदाबाद जिला सीतापुर में पारित आदेश दिनॉकित 08.10.2025 के विरूद्व योजित की गयी है।

प्रस्तुत निगरानी से सम्बंधित **तथ्य** संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रश्नगत मामले में निगरानीकर्ता/वादी मुकदमा द्वारा विचारण अवर न्यायालय के समक्ष उत्तरदातागण/विपक्षीगण के विरूद्व धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के अर्न्तगत प्रार्थनापत्र इस आशय का दिया गया कि निगरानीकर्ता के पूर्वज मुन्नालाल उपरोक्त के चार पुत्र प्रहलाद, भगौती प्रसाद, त्रिलोकीनाथ, विशम्भर दयाल पुत्रगण मुन्नालाल उत्पन्न हुए। निगरानीकर्ता के पिता भगौती प्रसाद के भाई प्रह्लाद, निगरानीकर्ता के दादा के जीवनकाल में ही मृतक हो गये थे। मुन्नालाल की मृत्यु उपरान्त भगौती प्रसाद, त्रिलोकीनाथ, विशम्भर दयाल पुत्रगण मुन्नालाल उत्तराधिकारी हुए और ग्राम भदेसर, मजरा ढखवा, परगना सदरपुर, थाना रामपुर मथुरा, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर के मूल निवासी रहे। निगरानीकर्ता के पूर्वज मुन्नालाल उपरोक्त की मृत्यु के पश्चात उनकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति के भगौती प्रसाद, त्रिलोकी नाथ व विशम्भर दयाल पुत्रगण मुन्नालाल निवासी भदेसर उपरोक्त उत्तराधिकारी हुए। निगरानीकर्ता के पिता भगौती प्रसाद व चाचा विशम्भर दयाल व त्रिलोकीनाथ को प्राप्त पुश्तैनी गाटा संख्या 122 रकबा 1.145 हे0 व गाटा संख्या 524 रकबा 0.686हे0 स्थित ग्राम ढखवा, परगना सदरपुर, तहसील महमूदाबाद, जनपद सीतापुर पर निगरानीकर्ता के पिता भगौती प्रसाद व चाचा त्रिलोकीनाथ व विशम्भर दयाल पुत्र मुन्नालाल का नाम मूल रुप से अंकित है तथा इसके अतिरिक्त अन्य सम्पत्तियाँ भी थी जो वर्तमान में वादीगण के कब्जे व दखल में है। निगरानीकर्ता के पिता भगौती प्रसाद व चाचा त्रिलोकीनाथ का विवाह अरसा पूर्व हुआ था तथा निगरानीकर्ता के पिता के भाई विशम्भर दयाल पुत्र मुन्नालाल ने अपनी शादी नहीं की थी अर्थात विशम्भर दयाल अविवाहित रहे और लगभग 6 वर्ष पूर्व दिनांक 13.1.2019 से गायब चले आ रहे हैं। निगरानीकर्ता के पिता भगौती प्रसाद पुत्र मुन्नालाल उपरोक्त ने अपनी गाटा संख्या 122 रकबा 1.145 हे0 के 1/3 भाग में से 0.162हे0 क्षेत्रफल संतोष कुमार पुत्र देवी निवासी ग्राम रसूलपुर सादात तहसील बक्शी का तालाब जनपद लखनऊ को विक्रय किया था। उसके बाद संतोष कुमार ने क्रय किये गये अंश को पप्पू गुप्ता पुत्र राम दुलारे निवासी ग्राम बखरिया टोला बेलहारा तहसील फत्तेहपुर जनपद बाराबंकी व प्रदीप कुमार सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह निवासी बी0 1501/1 बस्तौली इन्दिरा नगर जनपद लखनऊ के नाम विक्रय पत्र कर दिया। पप्पू गुप्ता पुत्र राम दुलारे ने उपरोक्त अंश अपने पुत्र हर्ष गुप्ता पुत्र पप्पू गुप्ता विपक्षी सं06 को विक्रय कर दिया। निगरानीकर्ता के पिता के भाई विशम्भर दयाल के सम्बन्ध में लगभग 6 वर्षों

से जीवित होने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं प्राप्त हुई। निगरानीकर्ता के पिता भगौती प्रसाद व चाचा त्रिलोकीनाथ ही विशम्भर दयाल उपरोक्त के पारिवारिक सदस्य उत्तराधिकारी व समस्त सम्पत्ति पर पुश्तैनी रुप से काबिज चले आ रहे हैं। निगरानीकर्ता के पिता व विपक्षी सं0 1 व 2 का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। निगरानीकर्ता के चाचा विशम्भर दयाल के लगभग 6 वर्ष पूर्व से गायब होने का फायदा उठाकर विपक्षी सं0 1 ता 5 व 11 ने मिलकर सांठ गांठ कर प्रार्थी के अविवाहित चाचा विशम्भर दयाल को मृतक दर्शाकर फर्जी अभिलेख बनाकर विपक्षी सं0 1 व 2 का नाम बतौर पुत्रियाँ फर्जी तरीके से वरासत दिनांक 3.2.2025 को तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर में अंकित करायी। उसका असली रुप में प्रयोग कर विपक्षी सं0 6, 7, 8 ने अन्य सहयोगियों से मिलकर विक्रय पत्र विपक्षी सं06 के पक्ष में दिनांक 07.03.2025 को गाटा सं0 122 ग्राम ढखवा, परगना सदरपुर तहसील महमूदाबाद जनपद सीतापुर के सम्बन्ध में विक्रय पत्र निष्पादित व पंजीकृत बही संख्या 1 जिल्द संख्या 6108, पृष्ठ सं0–33 से 48, क्रमांक 1988 पर उपनिबन्धक कार्यालय महमूदाबाद जनपद सीतापुर में पंजीकृत कराया। पुनः उसका असली रुप में प्रयोग कर विपक्षी सं0 6, 7, 8 ने अन्य सहयोगियों से मिलकर विक्रय पत्र विपक्षी सं08 के पक्ष में दिनांक 07.03.2025 को गाटा सं0–524 ग्राम ढखवा, परगना सदरपुर तहसील महमूदाबाद जनपद सीतापुर के सम्बन्ध में विक्रय पत्र निष्पादित व पंजीकृत बही संख्या निल जिल्द संख्या पृष्ठ सं0 निल से निल क्रमांक पर उपनिबन्धक कार्यालय महमूदाबाद जनपद सीतापुर में पंजीकृत कराया। पुनः विपक्षी सं0 1 व 2 तथा विपक्षी सं0 6 से 11 तक एक राय होकर दिनांक 8.3.2025 को समय करीब 12.00 बजे दिन में निगरानीकर्ता के पुस्तैनी उपरोक्त भूमि स्थित ग्राम भदेसर मजरा ढखवा थाना रामपुर मथुरा परगना सदरपुर तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर में कब्जा करने आये। निगरानीरकर्ता व अन्य लोगों ने विरोध किया तब विपक्षीगणों ने निगरानीकर्ता व उसके परिवार के लोगों को गंदी गंदी गालियां देते हुए एक एक कर जान से मारकर गायब कर देने अथवा फर्जी मुकदमें में फॅसाने एवं फर्जी अभिलेखो के आधार पर जमीन पर कब्जा करा लेने की धमकी दी। निगरानीकर्ता ने घटना की सूचना उसी दिन थाने पर दी किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। निगरानीकर्ता ने उक्त सम्बन्ध में कई बार दस्ती प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय व उच्च अधिकारियों को दिये गये किन्तु कार्यवाही न होने पर निगरानीकर्ता ने अवर न्यायालय में अंतर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 के अर्न्तगत प्रार्थनापत्र दिया गया। जिसे सम्बंधित विचारण अवर न्यायालय द्वारा प्रकरण दीवानी प्रकृति का होने के आधार पर दिनॉक 08.10. 2025 को निरस्त किया गया है।

उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा मुख्य रूप से प्रस्तुत निगरानी में इस **आधार** पर चुनौती दी गयी है कि अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों को नजर अंदाज कर आदेश दिनांक 08.10.2025 पारित किया गया है जो कि पूर्णतयाः कपोलकल्पित एवं मनगढन्त होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अवर न्यायालय द्वारा मात्र विपक्षीगण को फायदा पहुँचाने के लिए निगरानीकर्ता के वाद को निरस्त किया गया है जबकि घटना से पूर्व कोई वाद निगरानीकर्ता

व निगरानीकर्ता के पिता एवं विपक्षीगण के मध्य नहीं चला है। अवर न्यायालय की पत्रावली में संलग्न फर्जी एवं कूट रचित परिवार रजिस्टर नकल में विपक्षी सं0 1, 2 को फर्जी तरीके से विवाहित दर्शाया गया तथा विशम्भर दयाल को भी विवाहित दर्शाया गया है जबकि वह अविवाहित थे। अवर न्यायालय की पत्रावली में संलग्न कूट रचित फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का स्थान व समय दर्शित नहीं किया गया है। उक्त आधार पर अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 08.10.2025 निरस्त होने योग्य है। अवर न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 में वर्णित घटना व तथ्यों के आधार पर संज्ञेय मामला बनता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मामले को संज्ञेय न मानकर घोर विधिक त्रुटि की है जबकि उक्त मामला गंभीर प्रकृति का है। उक्त आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

बाद **तामीला** बजात खास उत्तरदाता/विपक्षी सं0 1 ता 11 की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये, उनकी ओर से वकालतनामा दाखिल किया गया है।

मैने प्रार्थी/निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तरदाता/विपक्षी संख्या 1 की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 एवं विपक्षी संख्या 1 ता 11 के विद्वान अधिवक्ता के मौखिक तर्को को **सुना** तथा पत्रावली पर उपलब्ध आलोच्य आदेश 08.10.25 एवं अवर न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान अवर न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत मामले में विचारण अवर न्यायालय के समक्ष निगरानीकर्ता/वादी मुकदमा की ओर से प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत किया गया जिस पर उत्तरदाता विपक्षीगण की ओर से आपत्ति दाखिल की गयी। विचारण अवर न्यायालय द्वारा उप जिलाधिकारी महमूदाबाद से आख्या तलब की गयी जिसके अनुसार उक्त वाद के सम्बंध में वाद न्यायालय तहसीलदार महमूदाबाद में विचाराधीन होने व प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अर्न्तगत होने के कारण प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. मात्र न्यायालय को भ्रमित करने के उद्वेश्य से दिये जाने के कारण प्रार्थनापत्र निक्षेपित किये जाने का कथन है। तदुपरान्त विचारण अवर न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता/वादी मुकदमा द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में उभय पक्ष के बीच पूर्व में उक्त के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन होने पर मामला सिविल प्रकृति होने के कारण प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस निरस्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि आवेदक/निगरानीकर्ता द्वारा अपने अविवाहित चाचा विशम्भर दयाल को मृतक दर्शाकर फर्जी अभिलेख बनाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 का नाम तौर फर्जी तरीके से वारासत दर्ज कराने का आरोप लगाया गया है। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में उल्लेखित तथ्यो से पूर्णतया यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत प्रकरण दीवानी प्रकृति का है तथा इस सम्बंध में राजस्व न्यायालय के समक्ष वाद विचाराधीन है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन करने के

उपरान्त प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस में उल्लिखित तथ्यो से प्रकरण दीवानी प्रकृति का होने के कारण गुण दोष के आधार पर निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त आलोच्य आदेश विचारण अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की समीक्षा के उपरान्त विधिपूर्ण प्रक्रिया के उपरान्त पारित किया गया है, जो कि विधिपूर्ण तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं परिस्थितियो के आधार पर है।

इस प्रकार विद्वान विचारण अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आलोच्य आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुरूप एवं विधिपूर्ण है और निगरानी में वर्णित आधार कि प्रस्तुत मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का परिशीलन किये बगैर साक्ष्य का सही मूल्यॉकन न करके तथ्यो को उपेक्षित करते हुये आलोच्य आदेश पारित किया गया है, माने जाने योग्य नही है। उक्त परिस्थितियो में प्रश्नगत आलोच्य आदेश दिनॉकित 08.10.2025 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है। अतः निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत फौजदारी निगरानी निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 08.10.2025 पुष्ट किया जाता है। उक्त निगरानी से सम्बंधित तलबशुदा पत्रावली वापस भेजी जाय। निगरानी न्यायालय की पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक : 04.04.2026

(आशीष जैन)
सत्र न्यायाधीश,
सीतापुर।
J.O.Code-UP -2024

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवम् दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक : 04.04.2026

(आशीष जैन)
सत्र न्यायाधीश,
सीतापुर।

अजीत.
J.O.Code-UP -2024